

प्रपत्र  
FORM

दिनांक 31/12/2017 को वर्ष 2017 के लिए अचल संपत्ति का विवरण

STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY FOR THE YEAR 2017 AS ON 31/12/2017

अधिकारी का नाम : डा राकेश कुमार वर्तमान वेतन 129600/- रुपये (एल13)  
Name of the officer: Present Pay

सेवा का नाम जिससे अधिकारी संबंधित है

वैज्ञानिक

Present Post held:

प्रधान वैज्ञानिक

वर्तमान पद :

ज़िला, उपमण्डल, ताल्लुक और गाँव का नाम जहाँ संपत्ति है Name of District, Sub Division, Taluk and Village in which the property is situated	संपत्ति, आवासीय भूमि और अन्य भवनों आदि का नाम व व्यौरा Name and details of property, Housing lands & other building	वर्तमान मूल्य Present value	यदि संपत्ति अपने स्वयं के नाम पर नहीं है तो बताएं कि किसके नाम से है तथा उससे सरकारी कर्मचारी का संबंध क्या है ? If not in own name, state in whose name held & his/ her relationship to Govt. servant.	संपत्ति कैसे अर्जित की गई ? क्या खरीदी गई, पट्टे पर ली गई, बंधक, उत्तराधिकार, उपहार अथवा किसी अन्य स्रोत से ली गई। तारीख जिसको अधिकारी में ली गई तथा उस व्यक्ति का नाम जिससे ली गई। How acquired? Whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name with details of persons from whom acquired.	संपत्ति से वार्षिक आय Annual Income from the property.	अभ्युक्तियां Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
गाँव व डाकखाना अरला, तहसील पालमपुर (हि.प्र.)	400 वर्ग मी.	रुपये 3.00 लाख	श्री रघुनाथ सिंह ठाकुर (पिता)	-	शून्य	संयुक्त सम्पत्ति
गाँव व डाकखाना हारसी तहसील जयसिंह पुर (हि.प्र.)	400 वर्ग मी.	रुपये 2.00 लाख	श्री रघुनाथ सिंह ठाकुर (पिता)	उत्तराधिकार	शून्य	संयुक्त सम्पत्ति

डा राकेश कुमार  
31/12/2017

गाँव व डाकखाना अरला, तहसील पालमपुर (हि.प्र.)	800 वर्ग मी.	रुपये 7.10 लाख	स्वयं	उत्तराधिकार	शून्य	-
गाँव व डाकखाना सिद्धपुर, तहसील पालमपुर (हि.प्र.)	400 वर्ग मी.	रुपये 4.10 लाख	स्वयं	उत्तराधिकार	शून्य	-
गाँव व डाकखाना चिमबलहार, तहसील पालमपुर (हि.प्र.)	3600 वर्ग मी.	रुपये 15.60 लाख	श्री रघुनाथ सिंह ठाकुर (पिता)	उत्तराधिकार	रुपये 7500	सयुक्त सम्पत्ति
गाँव रोड़ी, डाकखाना ठाकुरद्वारा (हि.प्र.)	1800 वर्ग मी.	रुपये 15.60 लाख	श्री रघुनाथ सिंह ठाकुर (पिता)	उत्तराधिकार	शून्य	-
गाँव व डाकखाना हारसी तहसील जयसिंह पुर (हि.प्र.)	2000 वर्ग मी.	रुपये 5.25 लाख	स्वयं	उपहार (पिता द्वारा)	शून्य	-
गाँव व डाकखाना हारसी तहसील जयसिंह पुर (हि.प्र.)	1200 वर्ग मी.	रुपये 4.0 लाख	श्री रघुनाथ सिंह ठाकुर (पिता)	उत्तराधिकार	शून्य	-

जो खंड लागू नहीं है, उसे काट दिया जाए। Inapplicable clause be stuck out.


जहाँ मूल्य का सटोक आकलन संभव नहीं है वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अनुमानित मूल्य उल्लिखित किया जाए।

In case where it is not possible to assess the value accurately the approximately value in present conditions may be indicated.

अल्पकालीन पट्टे पर ली गई भी शामिल है। Includes short term lease also.

**टिप्पणी:** घोषणा पत्र भरना तथा इसे केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1) के अधीन सेवा में प्रथम नियुक्ति पर श्रेणी - I तथा श्रेणी - II (वर्ग (अ) एवं वर्ग (व)) के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक है और इसके पश्चात इसे प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर भरा जाए जिसमें उसके नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर अर्जित, उत्तराधिकार में प्राप्त, पट्टे पर ली गई अथवा बंधक सम्पूर्ण अचल संपत्ति का विवरण दिया गया हो।

**Note:** The declaration form is required to be filled and submitted by every member of class - I and class - II service under Rule 18(1) of the Central Civil Service (Conduct) Rules 1964 on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every year giving particular of all immovable property owned, acquired or Inherited by him or held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person.

  
हस्ताक्षर/Signature  
दिनांक/Date 10/01/2018